पीठासीन अधिकारी–श्री विवेक व्यास, आर.ए.एस

राजस्व आवेदन संख्या 263/2022

बनाम

प्रार्थीगण

1. मोटाराम पुत्र रतनाराम उम्र 68 वर्ष
2. कंवराराम पुत्र भैराराम उम्र 20 वर्ष
3. चुनीदेवी पत्नि भैराराम उम्र 50 वर्ष
4. जसाराम पुत्र भैराराम 17 वर्ष नाबालिग जसाराम की कुदरती वल्ली माता चूनीदेवी पत्नि भैराराम उम्र 50 वर्ष जातियान– जाट, निवासी– जैरूपोणियों का तला होडू तहसील–सिणधरी, जिला–बाड़मेर

विप्रार्थीगण

1 लिखमाराम पुत्र तुलछाराम उम्र 52 वर्ष
2 तुलछाराम पुत्र खेताराम उम्र 82 वर्ष
3. दूर्गाराम पुत्र खेताराम उम्र 70 वर्ष
4. वीरोदेवी पत्नि लिखमाराम उम्र 50 वर्ष
5. सताराम पुत्र खेताराम उम्र 65 वर्ष
6. जेठाराम पुत्र सोनाराम उम्र 77 वर्ष
7. बालाराम पुत्र सोनाराम उम्र 80 वर्ष
8 सुरताराम पुत्र सोनाराम उम्र 62
9. धीराराम पुत्र कोहलाराम उम्र 50 वर्ष
10. मीरोंदेवी पत्नि मोटाराम उम्र 60 वर्ष
11. मोटाराम पुत्र सोनाराम उम्र 65 वर्ष
12 अणसीदेवी पत्नि सुजाराम उम्र 75 वर्ष
13. उमाराम पुत्र कोहलाराम उम्र 65 वर्ष
14. केशाराम पुत्र साजनराम उम्र 60 वर्ष
15. धमाराम पुत्र कोहलाराम उम्र 65 वर्ष
16 चुतराराम पुत्र भारमलराम उम्र 63 वर्ष
17. चेनाराम पुत्र साजनराग उम्र उम्र 60 वर्ष
18 ठाकराराम पुत्र हरखाराम उम्र 50 वर्ष
19 धर्माराम पुत्र कोहलाराम उम्र 62 वर्ष,
20 बाबूराम पुत्र सुजाराम उम्र 32 वर्ष
21 मीखाराम पुत्र जालाराम उम्र 40 वर्ष
22 मेघाराम पुत्र साजनराम उम्र 60 वर्ष
23 मेघाराम पुत्र जालाराम उम्र 65 वर्ष
24 रामाराम पुत्र साजनराम उम्र 62 वर्ष
25. लिखमाराम पुत्र कोहलाराम उम्र 60 वर्ष
26. हडूमानराम पुत्र सुजाराम उम्र 45 वर्ष
27. जोराराम पुत्र देवाराम उम्र 50 वर्ष
28. पूनमाराम पुत्र देवाराम उम्र 52 वर्ष
29 भोगाराम पुत्र देवाराम उम्र 55 वर्ष
30 हुकमाराम पुत्र देवाराम उम्र 60 वर्ष
31. वीरादेवी पत्नि लिखमाराम 50 वर्ष
32 खेराजराम पुत्र लिखमाराम उम्र 52 वर्ष
33 मानीदेवी पनि दलाराम उम्र 48 वर्ष
34. रावताराम पुत्र दलाराम उम्र 46 वर्ष
35. हनुमानराम पुत्र लिखमाराम उम्र 55 वर्ष
36. सेतुदेवी पत्नि उदाराम उम्र 75 वर्ष
37 खरताराम पुत्र शेराराम उम्र 25वर्ष
38 खरथाराम पुत्र शिवजीराम उम्र 35 वर्ष

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

39. गुणेशाराम पुत्र गोरधनराम उम्र 70वर्ष
40. जसाराम पुत्र मोटाराम उम्र 50 वर्ष
41. जोगाराम पुत्र उदाराम उम्र 40 वर्ष
42. नारणाराम पुत्र गोरधनराम उम्र 65 वर्ष
43. प्रेमाराम पुत्र शेराराम उम्र 20 वर्ष
44 भैराराम पुत्र उदाराम उम्र 55 वर्ष
45. ममाराम पुत्र मोरधनराम उम्र 60 वर्ष
46 मूलीदेवी पत्नि मदरूपाराम उग 40 वर्ष–
47 मांगीदेवी पत्नि शेराराम उम्र 16 वर्ष
48 मानाराम पुत्र शिवजीराम उम्र 48 वर्ष
49 रामाराम पुत्र शिवजीराम उम्र 45 वर्ष
50 लुम्बाराम पुत्र गोरधनराम उम्र 62वर्ष
51 लिछमणाराम पुत्र सुखराम उम्र 60 वर्ष
52 तीरोदेवी पनि शिवजीराम उम्र 70
53. स्वरूपाराम पुत्र शेराराम उम्र 23 वर्ष
54 सवाईसिंह पुत्र मदरूपाराम उम्र 72 वर्ष
जातियान जाट, निवासी– जाट निवासीयान जैरूपोणियो का तला तहसील – सिणधरी, जिला–बाड़मेर
55. शाखा प्रबन्धक भारतीय स्टेट बैंक शाखा सिणधरी
58 शाखा प्रबन्धक राजस्थान मरूघरा बैक शाख होडू
57. तहसीलदार सिणधरी

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 (वास्ते–विवादित भूमि की करने नेखमबन्दी बाबत)

उपस्थिति–

1. श्री पाबूराम बेनीवाल, प्रार्थीगण की ओर से उपस्थित।
2. श्री विष्णु चौधरी विप्रार्थी सं. 1 व 4 अनुपस्थित।
3. शेष विप्रार्थीगण एकतरफा।

<u>आदेश</u>

दिनांक 20.09.2023

1. संक्षेप में आवेदन के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है,कि प्रार्थीगण का संयुक्त खातेदारी का खेत पटवार मण्डल होडू के राजस्व ग्राम जैरूपाणियों का तला के खेत खसरा संख्या 729, 736

खण्ड अधिकारी

रकबा कमशः 3.4625 हैक्टयर व 3.9722 हैक्टेयर खातेदारी का अवस्थित है। प्रार्थीगण के उपरोक्त खेत विप्रार्थीगण के खेतों के सेढा सेढ आई हुई है। खेतों के बीच किसी प्रकार कि कोई पक्की माठे या सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान मे तनाजा एवं विवाद बना रहता है। इस कारण प्रार्थीगण द्वारा खेत राजस्व ग्राम जैरूपाणियों का तला के खेत खसरा संख्या 729, 736 रकबा कमशः 3.4625 हैक्टयर व 3.9722 हैक्टेयर की पक्की नेखमबंदी करवाने हेतु यह आवेदन पत्र पेश किया गया है।

2. प्रार्थीगण का आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया गया। विप्रार्थीगण को जरिये रजिस्ट्रर्ड नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थीगण के नोटिस तामील शुदा प्राप्त हुए। विप्रार्थीगण सं. 2 से 3 व 5 से 57 को सुनवाई का एवं विप्रार्थी सं. 1 व 4 को जवाब हेतु पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी हाजिर नहीं होने पर उनके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

3.वकील प्रार्थीगण की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थीगण ने आवेदन के तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया, कि प्रार्थीगण के खेत राजस्व ग्राम जैरूपाणियों का तला के खेत खसरा संख्या 729, 736 रकबा कमशः 3.4625 हैक्टयर व 3.9722 हैक्टेयर भूमि आई हुई है। प्रार्थीगण के उपरोक्त खेत विप्रार्थीगण के खेतों के सेढा सेढ आई हुई है। खेतों के बीच किसी प्रकार कि कोई पक्की माठे या सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान मे तनाजा एवं विवाद बना रहता है। इस कारण प्रार्थी द्वारा खेत ग्राम जैरूपाणियों का तला के खेत खसरा संख्या 729, 736 रकबा कमशः 3.4625 हैक्टयर व 3.9722 हैक्टेयर भूमि की पक्की नेखमबंदी के आदेश फरमावे जावे।

4.हमनें वकील प्रार्थीगण की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड व संलग्न दस्तावेजात का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया। तथ्यो का विधि के परिप्रेक्ष्य में विवेचन किया गया। जिसमें पाया कि खेत ग्राम जैरूपाणियों का तला के खेत खसरा संख्या 729, 736 रकबा कमशः 3.4625 हैक्टयर व 3.9722 हैक्टेयर भूमि प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी में दर्ज है,जो पत्रावली के संलग्न विवादित भूमि की जमाबंदी मय नक्शा खतौनी संवत 2076–2079 का अवलोकन करने से स्पष्ट है,इस प्रकार प्रार्थीगण विवादित भूमि का रिकार्डेड खातेदार है,और रिकार्डड खातेदार अपनी भूमि की पक्की नेखमबंदी करवानें के लिए स्वतंत्र है,जिसके प्रार्थीगण हकदार भी है एवं विप्रार्थीगण सं. 2 से 3 व 5 से 57 बावजूद रजिस्ट्रर्ड नोटिस तामीली के हाजिर नहीं हुए है, और विप्रार्थी सं. 1 व 4 की ओर से जवाब प्रस्तुत नहीं किये जाने से प्रथम दृष्टया यह प्रतीत होता है कि प्रार्थीगण के आवेदन को स्वीकार करने की उनकी ओर से मौन स्वीकृति है। यदि कोई आपत्ति होती,तो न्यायालय में उपस्थित होकर उजर एतराज पेश करतें। लेकिन ऐसा विप्रार्थीगण की ओर से नहीं किया गया। ऐसी सूरत में प्रार्थीगण का आवेदन स्वीकार योग्य है।

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

5. लिहाजा,प्रार्थीगण का आवेदन पत्र स्वीकार किया जाकर खेत मौजा जैरूपाणियों का तला के खेत खसरा संख्या 729, 736 रकबा क्रमशः 3.4625 हैक्टयर व 3.9722 हैक्टेयर भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार सिणधरी को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है,उक्त कार्यवाही प्रार्थीगण व विप्रार्थीगण को पूर्व में जरिये नोटिस/पत्र के जरिये सुचित करते हुए एक निश्चित तारीख मुकर्रर कर की जावे। कमिशनर फीस 1000/प्रार्थी मौके पर अदा करेगा। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल मिसल हो।

उपखण्ड अधिकारी,सिणधरी

आदेश आज दिनांक 20.09.2023 को लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी,सिणधरी